आदेश	कार्यवाही विवरण 7-9/2021	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
14.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0 एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर इस बावत् किये कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई एतराज आपत्ति नहीं है। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, शपथ पत्र मूलाराम, जमाबंदी खाता सख्या 716, 998, 997, 715 ग्राम उदयपुरवाटी, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 14.09.2021 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी का सही नाम मूलाराम पुत्र सुखाराम है तथा मूलचन्द एवं मूलाराम दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 392 रकबा 0.6300 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम मूलचन्द पुत्र सुखाराम के बजाय मूलाराम पुत्र सुखाराम दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी **निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:49:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner